

#### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2180]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 2013/भाद्र 25, 1935

No. 2180]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 2013/ BHADRA 25, 1935

### शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली डिवीजन)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2013

का.आ. 2799 (अ).-जबिक केन्द्र सरकार ने दिल्ली मुख्य योजना में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त सूचना की तिथि से पैतालीस दिनों के अंदर आपितयाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना के रूप में का.आ.सं. 1208 (अ) दिनांक 14.05.2013 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

- 2. जबिक, प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त की गयी आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित किए गए जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में उन्हें अनुमोदित भी किया गया था ।
- 3. जबिक, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना-2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है जो दिनांक 26.10.2012 की अधिसूचना का.आ. 2555 (अ) के तहत अधिसूचित किया गया था और दिनांक 18.07.2013 की का.आ. 2190 (अ) के तहत संशोधित किया गया था।
- 4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करती है:

4003 GI/2013

# संशोधन:

क्र.सं.	पैरा/खंड/तालि	दि.मु.यो2021 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 26.10.2012 के का.आ. 2555 (अ) के							
500m24 = 40 No.002404	का	तहत अधिसूचित और दिनांक 18.07.2013 के का.आ. 2190 (अ) के तहत संशोधित किए गए							
		18							
1	2	3							
1.	पैरा 3.2 शहरी	निम्नलिखित विषय-वस्तु प्रतिस्थापित की जाती है:							
	विस्तार	"दिनांक 07.02.2007 को अनुमोदित प्लान वाले मोटल अथवा जिन मोटलों (मोटलों का							
		प्रस्ताव, जो जांच प्रक्रिया में था अथवा मामले को न्यायालय में चुनौती दी गई थी अथवा जिसे							
	2	दि.वि.प्रा. अथवा दि.न.नि. से फाइलों में अनुमोदित किया जा चुका है अथवा दिनांक							
		07.02.2007 को दिल्ली मुख्य योजना-2021 के लागू होने से जिसे स्वीकार नहीं किया गया, भी							
		स्वीकृति हेतु योग्य है, सहित							
		क्षेत्रीय विकास योजनाओं में प्रस्तावित सुविधा कॉरिडोर और अन्य उपयोग जोनों में स्थित है,							
		को तालिका 5.4 और अध्या	य 17.0 के ख	ांड में अंत	लिखित विव	नियत्रण शत	र्ग के अधान		
		अनुमति दी जाएगी।"							
2.	तालिका 5.4	उपयोग/उपयोग परिसर	अधिकतम	एफ ए	ऊँचाई	पार्किंग मानक	अन्य		
	विकास नियंत्रण	344/4// 344/44	कवरेज	आर	(मीटर)	ई सीएस तल	नियंत्रण		
	व्यावसायिक		(%)**		(,	क्षेत्रफल का			
	केन्द्र					प्रति 100	-		
						वर्गमीटर की			
						दर से			
		1	2	3	4	5	6		
		निम्नितिखित विषय-वस्तु	40	175^	एन				
		प्रतिस्थापित की जाती है:			आर*				
		च) दिनांक 07.02.2007							
		को अनुमोदित प्लान वाले							
		मोटल अथवा जिन मोटलों							
		(मोटलों का प्रस्ताव, जो							
		जांच प्रक्रिया में था अथवा							
		मामले को न्यायालय में							
		चुनौती दी गई थी अथवा							
		जिसे दि.वि.प्रा. अथवा							
6		दि.न.नि. से फाइलों में	8 x						
	*	अनुमोदित किया जा चुका							
		है अथवा दिनांक							
		07.02.2007 को दिल्ली							
		मुख्य योजना-2021 के							
		लागू होने से जिसे स्वीकार							
		नहीं किया गया है, भी							
		स्वीकृति हेतु योग्य है,							
		सहित) का प्रस्ताव							
		स्वीकार किया गया है और							
		जो व्यावसायिक क्षेत्रों							
		अथवा क्षेत्रीय विकास							

		योजनाओं में प्रस्तावित					
		सुविधा कॉरिडोर और अन्य					
		उपयोग जोनों में स्थित है।					
		शीर्ष "नोट" के अंतर्गत निम्नितिखित विषय-वस्तु जोड़ी जाती है:  **यदि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का ऊँचाई से संबंधित कोई प्रतिबंध मौजूद हो तो					
	3						
		स्थल (स्थलों) पर बढ़ाए गए एफएआर के उपयोग हेतु भू कवरेज 40 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत तक अनुमेय होगा।					
3.	उप-खंड 8(2)	निम्नलिखित विषय-वस्तु प्रतिस्थापित की जाती है:					
	के अन्तर्गत	(vi) दिनांक 07.02.2007 को अनुमोदित प्लान वाले मोटल अथवा जिन मोटलों (मोटलों का					
	टिप्पणियां	प्रस्ताव, जो जांच प्रक्रिया में था अथवा मामने को न्यायालय में चुनौती दी गई अथवा जिसे					
		दि.वि.प्रा. अथवा दि.न.नि. से फाइलों में अनुमोदित किया जा चुका है अथवा दिनांक					
	,	07.02.2007 को दिल्ली मुख्य योजना-2021 के लागू होने से जिसे स्वीकार् नहीं किया गया					
		है, भी स्वीकृति हेतु योग्य है, सहित) का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है और जो व्यावसायिक					
		क्षेत्रों अथवा क्षेत्रीय विकास योजनाओं में प्रस्तावित सुविधा कॉरिडोर और अन्य उपयोग जोनों					
		(जो दि.म्.यो-२०२१ के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रीय योजनाओं की शहरी विकास मंत्रालय की					
		दिनांक 16.6.1995 की अधिसूचना के अंतर्गत बनाए गए है, जिनका 07.02.2007 से पहले					
		ग्रामीण उपयोग जोन/हरित पट्टी उपयोग था) में स्थित है, को तालिका 5.4 में उल्लिखित					
		विकास नियंत्रण शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी।					
	19						

[ सं. के-20013/10/2007-डीडीआई(खंड.4)] अभिजीत बक्शी, उप सचिव

### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2013

**S.O. 2799 (E).**— In supersession of Notification S.O. 2759(E) dated 13.09.2013, the following is substituted under "Modifications" mentioned in para 4 of the above said notification:

### Modifications:

S. No.	Para/Clause/ Table	Modifications to the MPD- 2021 notified vide Notification S.O. 2555(E) dated 26.10.2012 and amended vide S.O. 2190(E) dated 18.07.2013.
1	2	3
1.	Para 3.2 Urban Extensions	"Motels with sanctioned plans as on 07-02-2007 or whose proposal of Motel has been acceded to (including all such proposal of motels which were in process of examination or matter challenged in the court of law or having approval in files from DDA or MCD or not acceded to due to enforcement of MPD-2021 on 07.02.2007 are also eligible for sanction) and located in Commercial Areas or proposed Facility Corridor in Zonal Development Plans and Other Use Zones, shall be permissible subject to Development Control conditions mentioned in 'Table 5.4' and Clause in Chapter 17.0."

2.	Table	5.4						
	Development Controls Commercial Centers	-	U se/use premises	Maximum Coverage (%)**	FAR	Height (mts)	Parking Standards ECS/100 Sqm. of floor area	Other Controls
			1.	2	3	4	5	6
			Following Text is substituted:	40	175^	NR*		
			f) M otel (with sanctioned plans as on 07.02.2007 or whose proposal of Motel has been acceded to (including all such proposal of motels which were in process of examination or matter challenged in the court of law or having approval in files from DDA or MCD or not acceded to due to enforcement of MPD-2021 on 07.02.2007 are also eligible for sanction), which are in Commercial Areas or proposed Facility Corridor in Zonal Development Plans and Other Use Zones)				. ,	
			Following Text is added under the sent and t	50% instead site(s), if th	d of 40	% will b ist any	e permissib height res	le to achieve triction from
3.	Notes under Clause 8 (2)	Sub-	(vi) Motels with approved plans as on 07-02-2007 or whose proposal of Motel has been acceded to (including all such proposal of motels which were in process of examination or matter challenged in the court of law or having approval in files from DDA or MCD or not acceded to due to enforcement of MPD-2021 on 07.02.2007 are also eligible for sanction) and located in Commercial Areas or proposed Facility Corridor in Zonal Development Plans and Other Use Zones (which have been established under MoUD Notification dated 16-06-1995 of the notified Zonal Development Plans under MPD-2021 which were having Rural Use Zone/Green Belt prior to 07-02-2007) shall be permissible subject to development control conditions mentioned in Table 5.4.					

[No. K-20013/10/2007-DDI (Vol.4)]

ABHIJIT BAKSHI, Dy. Secy.